

24/8/23

वर्काल उमय पंका उपस्थित / यह मुन्ताजा पत्र  
पीठासीन अधिकारी श्री देवेन्द्र परमार SDM  
भरतपुर के विरुद्ध पेश किया गया था।  
चूंकि पीठासीन अधिकारी SDM भरतपुर  
का स्थानान्तरण अन्यत्र होने से प्रस्तुत  
प्रार्थना पत्र प्रभावहीन हो जाता है  
अतः मुन्ताजा पत्र प्रभावहीन होने  
के कारण इसी स्तर पर श्वारिज किया  
जाता है पत्रावली फैसल. शुमार हो बांद्र  
कार्यवाही दारिबल दफतर हो।

Low  
जिला कलक्टर  
भरतपुर